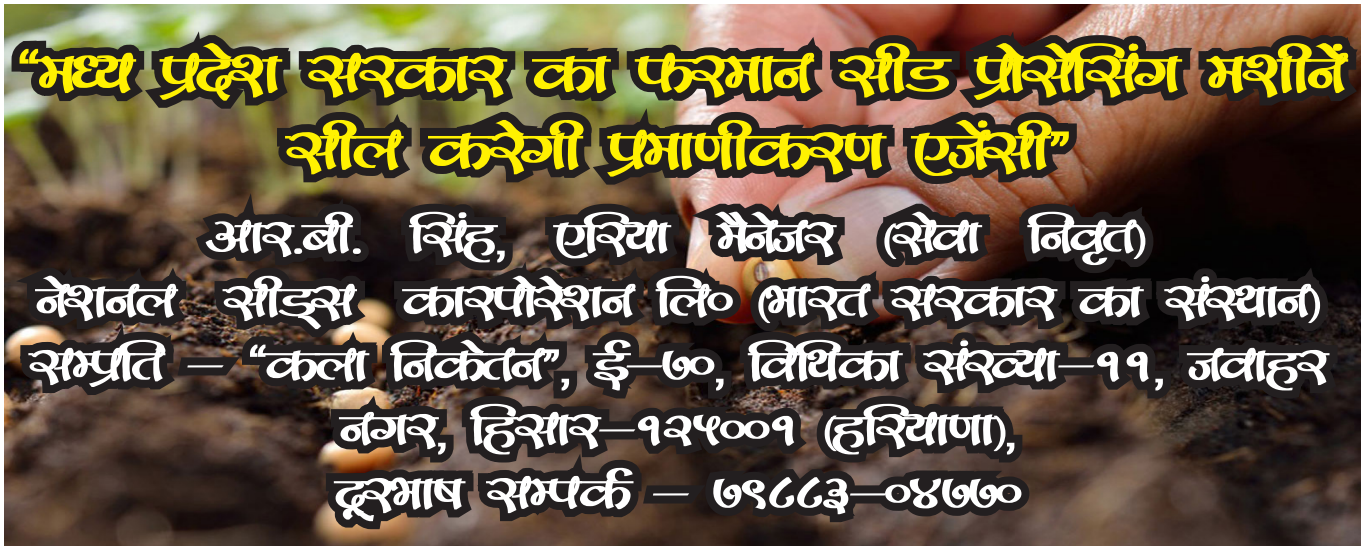

"मध्य प्रदेश सरकार का फरमान सीड प्रोसेसिंग मशीनें सील करेगी प्रमाणीकरण एजेंसी"

आर.बी. सिंह, एरिया मैनेजर (सेवा निवृत)
नेशनल सीड्स कारपोरेशन लि० (भारत सरकार का संस्थान)
सम्प्रति – "कला निकेतन", ई–७०, विथिका संख्या–११, जवाहर नगर, हिसार–१२५००१ (हरियाणा),
दूरभाष सम्पर्क – ७९८८३–०४७७०

बीज प्रमाणीकरण एजेंसी स्वतन्त्र :–
बीज उद्योग में बीज प्रमाणीकरण एक ऐसी विधा है जिसमें दाने में कोई भौतिक परिवर्तन किये बिना उसे बीज का रूप दिया जाता है। उसमें बीज के गुण समाहित किए जाते हैं। इस प्रमाणीकरण कार्य को सम्पन्न कराने हेतु बीज अधिनियम की धारा–8 के द्वारा राज्य सरकार को राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था अधिसूचना द्वारा स्थापित करने का अधिकार है। मध्य प्रदेश में भी मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था राज्य सरकार द्वारा स्थापित की गई है जिसका अस्तित्व स्वतन्त्र है और इसका कार्य केवल बीजों को प्रमाणित करने का है। यह अपनी आय के स्त्रोत स्वयं अपनाती है और इसे राज्य सरकार से कोई वित्तिय सहायता भी नहीं मिलती। अतः यह एक स्वतन्त्र एवं स्वपोषी संस्था है।

बीज प्रमाणीकरण स्वैछिक :–
बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968 तथा भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक 2013 के अनुसार बीजों को प्रमाणित कराना स्वैछिक है अर्थात किसी भी बीज उत्पादक को अपना बीज प्रमाणित करा कर बेचने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अतः कोई व्यक्ति अपना बीज प्रमाणित करा कर बेचना चाहता है तो वह राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था को नियम कानूनों के अनुसार प्रार्थना–पत्र और आवश्यक दस्तावेज देकर प्रमाणित करा सकता है। बीजों का प्रमाणीकरण केवल भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किस्मों तक ही सीमित है।

बीज को लेबल कर बेचना आवश्यक :– वर्तमान भारतीय कानूनों के अनुसार एवं आगे आने वाले बीज अधिनियम में भी बीजों का प्रमाणीकरण स्वैछिक है परन्तु बीजों की लैबलिंग करा कर बेचना आवश्यक है। इसी बीज को हम आम भाषा में टी.एल. (जतनजीनिस ंइमसस ेममकद्ध या टी.एफ.एल. या हिन्दी में सत्यरूप कहते हैं जबकि कानूनन यह लेबल सीड होता है क्योंकि ज्ण्स्ण्ए ज्ण्थ्ण्स्ण् कोई अधिकारिक शब्द नहीं है। प्रत्येक पदार्थ जो बीज कह कर बाजार में विक्रय होगा वह बीज अधिनियम 1966 की धारा–7 की शर्तों को पालन करते हुए बिकेगा।यह जरूरी नहीं है कि वह प्रमाणित भी हो। कई कृषि अधिकारी फरमान जारी करते हैं कि लाइसैंस केवल अधिसूचित किस्मों के बीजों के लिए दिया जाता है यह उनकी गलत सोच है।

अनाधिकृत बीज :– बीज कानूनों में अभी तक अनाधिकृत बीज की किस्म परिभाषित नहीं की गई। बीज नियामको में डपेइतंदक ेममकए नकली बीज (चनतपवने ेममकद्ध भी परिभाषित नहीं है। बीज मात्र अधोस्तर (नइेजंदकंतकद्ध या मानकीकृत (जंदकंतकद्ध हो सकता है किसी राज्य सरकार या प्रमाणीकरण संस्था ने अभी तक अनाधिकृत शब्द परिभाषित नहीं किया गया।

रिसर्च किस्में :– बीज प्रजनन के 4 तरीके – ेमसमब.जपवदए भ्लइतपकपेंजपवदए डनजंजपवद और प्दजतवकनब.जपवद से किस्में विकसित होती है और सभी किस्में त्मेमंतबी किस्में होती हैं। निजी बीज उद्यमी जो किस्में विकसित करते हैं उसे त्मेमंतबी किस्म कह कर व्यापार करते हैं। बीज व्यापारी तो इसे त्मेमंतबी किस्म कहते ही हैं, कृषि अधिकारी भी इसे त्मेमंतबी टंतपमजल नाम देकर पत्राचार करते हैं। कृषि विभाग को इन तथाकथित किस्मों को रिसर्च किस्में नाम देना शोभा नहीं देता।

बीज कानूनों को लागू करना :– बीज अधिनियम में बीज कानूनों को लागू कराने का दायित्व बीज निरीक्षक (ैममक प्देचमबजवतद्ध का है ये सीड इन्सपैक्टर कृषि विभाग मध्य प्रदेश में जिला स्तर पर मुख्यतः सहायक संचालक (कृषि), वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी,ैडैए कृषि विकास अधिकारी जो क्ण्क्ण्।ण् कार्यालय में पदस्थ हो, परियोजना अधिकारी एवं सहायक संचालक, भ्ण्च्ण्व्ण्ए भ्ण्क्ण्व्ण् आदि होते हैं।

कृषि विभाग मध्य प्रदेश ने कृषि मन्त्री के द्वारा 20.08.2020 को सभी बीज उत्पादन इकाईयों को पत्र लिखवा कर भेजा जिसका मुख्य उद्देश्य गलत बीजों की बिक्री रोकना है। इस पत्र में पैरावाईज 4 बिन्दु उठाए हैं जिनको निम्न प्रकार स्पष्ट किया गया है :–

पत्र के प्रथम बिन्दु में सरकार ने बीज उत्पादकों को केवल प्रमाणित बीज उत्पादन के आदेश दिए हैं और अप्रमाणित एवं अनाधिकृत बीजों के उत्पादन को हतोत्साहित किया गया है और इस हतोत्साहन के लिए मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था को साधन बनाया गया है और उनके यहां पंजीकृत बीज प्रोसेसिंग प्लान्ट को प्रमाणित बीजों की प्रोसेसिंग के बाद सील करने के आदेश दिए हैं। प्रमाणीकरण संस्था स्वतन्त्र है अतः इसे जरिया बनाना गलत है और प्रमाणीकरण संस्था को भी नियम विरूद्ध काम नहीं करना चाहिए। जैसा उपर बताया है प्रमाणीकरण स्वेच्छिक है परन्तु पत्र की भाशा इसे लाजमी कर रहा है। गैर प्रमाणित बीज या कहें लेबल बीज करके बेचना बीज कानूनों के अनुसार आवष्यक डंदकंजवतल है उसे हतोत्साहित किया जा रहा है जो बीज नियामको की मूल धारणा के विरूद्ध है। प्रमाणीकरण संस्थाओं द्वारा प्रमाणित बीजों की प्रोसेसिंग के बाद सील करने का तुगलकी फरमान न्यायालय में चुनौतीपूर्ण है। शब्द अनाधिकृत किस्में परिभाषित नहीं की गई न ही आज तक ऐसी किसी किस्म को मध्य प्रदेष में प्रतिबन्धित किया गया।

बिन्दु 2 में प्रमाणित बीजों की प्रोसेसिंग के बाद फेल लोट के लिए बीज की दशा सुधारने के लिए पुनः प्रोसेसिंग करने हेतु प्लान्ट मशीनरी खोलने और बन्द करने की प्रक्रिया दर्शाई है और बताया गया है कि अप्रमाणित बीजों का संसाधन न हो सके। यह राज्य सरकार एवं प्रमाणीकरण संस्था का कृत्य अनुचित और गैर कानूनी है।

कृषि मन्त्री के पत्र के तीसरे बिन्दु में प्रमाणीकरण संस्थाओं द्वारा बीज के थैलों पर Marketed by की अनुमति दी जाती है परन्तु थैले के दोनों ओर स्पष्टतया Marketed by Company का ही विवरण होता है और उत्पादक का नाम स्पष्ट नहीं होता और न ही उसका विवरण होता है मात्र छोटे अक्षरों में Produced by ही लिखा होता है। राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का यह अनुचित कृत्य है। बीज कानूनों में उत्पादक अलग और विक्रेता अलग का प्रावधान नहीं है यह प्रमाणीकरण संस्थाओं ने अपनी सुविधा या स्वार्थ के लिए ऐसा किया हुआ है। इस प्रकार Marketed by का गोरखधन्धा रूकना चाहिए।

कृषि मंत्री के पत्र के चौथे बिन्दु में गैर प्रमाणित बीजों के लिए दिशा निर्देश दिए हैं कि प्रमाणित बीजों के अलावा गैर प्रमाणित बीजों की प्रोसेसिंग करने के लिए किसी विभाग की अनुमति की जरूरत नहीं परन्तु जो पदार्थ बाजार में बिक रहा है वह बीज अधिनियम 1966 की धारा 7 का पालन करता हो। किसी भी संस्था से कोई अनापत्तिजनक प्रमाण–पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त स्पष्टीकरण के अलावा निम्न बिन्दु भी विचारणीय हैं :–

अन्तर्राजिय बीज वितरण :– एक राज्य में उत्पादित बीज की बिक्री राज्य की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहती बल्कि अन्य राज्यों में भी विक्रय/वितरित होते हैं। अतः कृषि मन्त्री के पत्र के अंशों का पालन बाहर से आने वाले गैर प्रमाणित बीजों ठज कपास की किस्में, चारे वाली किस्में, सब्जियों की किस्में आदि पर भी लागू हो और उन्हें राज्य में बिकने न दें क्योंकि ये किस्में गैर प्रमाणित हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय बीज व्यवसाय :– भारत में साधारणतया जई फीड हेतु मंगाई जाती है और बाजार में आते–2 सीड बन जाती है। उसकी विभिन्न किस्में रातों–रात बन जाती हैं और मध्य प्रदेश में बिकती हैं, ये सभी गैर प्रमाणित बीज हैं जो कृषि मन्त्री के पत्र के अनुसार बिकना वर्जित है। मिश्र से बरसीम का लेबल और साथ ही कुछ मात्रा में प्रमाणित बीज आता है जो बड़ी पैकिंग में आता है और साधारणतया "मस्कावी" किस्म कह कर बिकता है और रातों–रात हर कम्पनी उसकी अपनी किस्म बना देती है। मिश्र (Eqypt) के बीज की Validity 2 साल अंकुरण 70% आदि होते हैं जबकि बाहर का बीज भारत में IMSCS-2013 की पालना करता हो। ये बरसीम, जई, सब्जी के बीज चारे के बीज किसी लैब से टैस्ट भी नहीं होते, कृषि मंत्री के अनुसार इनकी बिक्री भी रूकनी चाहिए।

Certification Wihtout Tag & Seal Void :– बीज उत्पादन प्रमाणीकरण एवं विपणन के शुरूआती समय में उपरोक्त उक्ति मान्य थी परन्तु आज–कल प्रमाणित बीजों पर सील नहीं लगती और जहां लगती है उनके थैलों पर लगी सील पर उस राज्य की प्रमाणीकरण संस्था की सील की छाप नहीं होती। निजी बीज उत्पादक कम्पनियों को भी लेबल बीज पर अपनी सील लगानी चाहिए। ऐसा बीज भी विक्रय नहीं होना चाहिए।

कुकृत्य के लिये जिम्मेदारी :– कृषि विभाग के बीज निरीक्षक और लाइसैंसिंग अधिकारी बीज नियामकों का अध्ययन किए बिना फरमान जारी कर देते हैं या दावा दायर कर देते हैं परन्तु उनके किए गये गलत कार्य के लिए

जब तक उन्हें व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं करार दिया जायेगा तब तक निजी बीज उद्यमियों पर यह अत्याचार होता रहेगा। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में एक कीटनाशी निरीक्षक के समय पर वाद दायर न करने के लिए एक लाख रुपये का व्यक्तिगत दण्ड लगाया ऐसी दण्ड क्रिया से सोच-समझ कर आरोप लगाएंगे और समय पर वाद दायर करेंगे।

नागदा मध्य प्रदेश के कृषि विभाग ने 05.05.2019 को एक RTI के उत्तर में बताया कि केवल अधिसूचित किस्मों के बीजों के विक्रय के लिए लाइसैंस देते हैं साथ ही उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में बीज अधिनियम 1966 की धारा 7 का भी उल्लेख किया परन्तु वह भूल गये कि बीज अधिनियम 1966 की उकृधारा के अनुसार तो वर्ष 1983 या यूं कहें 1993 तक बीज विक्रय के लिए कोई लाइसैंस जरूरी नहीं था। दूसरी बात यह है कि बीज लाइसैंस अधिसूचित और गैर अधिसूचित किस्मों के बीजों की बिक्री के लिए दिया जाता है। अखबार ने भी चटकारे के साथ समाचार छापा और कृषि विभाग के ऐसे कुकृत्य के लिए बिना कानूनी पुष्टि किये महिमा मंडन किया। गलत व्यक्तव्य देने वालों पर भी दण्ड हो। बागवानी विभाग इन्दौर ने आदेश जारी किया कि Sale Licence लेने के लिए B.Sc. Agri. या डिपलोमा के लिए P.C. (Principal Certificate) प्रस्तुत करने हैं। कुछ अधिक. री Whole Sale & Retail Sale Seed Licence लेने को बाध्य करते हैं। इस तरह की विभिन्न पटकथाएं हैं और ऐसे अधिकारियों को जब तक व्यक्तिगत रूप से दण्डित नहीं किया जाता निजी बीज व्यवहारियों की प्रताड़ना में कोई कमी नहीं आ पायेगी।

ढेचा बीज बिक्री :- विभिन्न राज्यों में ढेचा, बीज के रूप में सरकारों द्वारा अनुदान पर वितरित किया जा रहा है यह बीज की परिभाषा में ही नहीं आता, यह मात्र कृषि उत्पाद है और इस पर बीज की ैनइेपकल देना बीज का अपमान है। ऐसा गलत बीज कृषि विभाग की सहमति और अनुमति से बिके उसके लिए अधिकारी दण्ड के भागी हैं। ऐसे बीज भी रूकने चाहिए।